## (3). शब्द प्रमाण (Authority)

नैयायिकों ने शब्द को भी प्रमाण एवं ज्ञान प्राप्ति का साधन माना है। किसी विश्वस्त व्यक्ति के कथनानुसार जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे शब्द कहते हैं तथा इन शब्दों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान शब्द ज्ञान कहलाता है।

न्यायसूत्र में शब्द की परिभाषा 'आप्तोपदेश: शब्द:' कह कर की गई है। अर्थात् वेद, पुराण, धर्मशास्त्र आदि में ऋषि-मुनियों द्वारा दिए गए उपदेश ही शब्द-प्रमाण हैं। आप्त पुरुष वह है, जो स्वयं किसी तत्व या वस्तु का साक्षात्कार करके उसका ज्ञान प्राप्त करता है और लोक कल्याण के लिए उस यथार्थ ज्ञान को अन्य लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से 'आप्त' उस ज्ञान को कहा जाता है, जिसे व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव से प्राप्त करता है। परन्तु सभी प्रकार के शाब्दिक ज्ञान यथार्थ नहीं कहे जा सकते। इनमें से अधिकांश अयथार्थ होते हैं। इस तरह से हम यथार्थ शाब्दिक ज्ञान की उत्पत्ति को निम्नलिखित बातों पर निर्भर पाते हैं —

(i). शाब्दिक कथन आप्तवचन होता है, अर्थात् इसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति का कथन होना चाहिए।

(ii). यह कथन आप्त पुरुष के निजी अनुभव के आधार पर किसी विषय के साक्षात्कार पर अवलंबित होते हैं।

(iii). आप्तकथन को दूसरों के सम्मुख रखने के पीछे जनहित एवं लोक कल्याण की भावना रहती है।

(iv). आप्तकथन का वास्तविक अर्थ सभी को समझ में आना आवश्यक है। और,

(v). अंतर्मन में शाब्दिक ज्ञान यथार्थ रूप में प्राप्त हो जाता है।

# शब्द का वर्गीकरण

न्यायशास्त्र में शब्द का वर्गीकरण दो प्रकार से हुआ है —
(1). ज्ञान के विषय के अनुसार, → दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ।
(2). ज्ञान के स्त्रोत के अनुसार, → लौकिक और अलौकिक।

## (1) प्रथमानुसार शब्द का वर्गीकरण →

(a). दृष्टार्थ → दृष्टार्थ शब्द का अर्थ है ऐसे शब्द का ज्ञान जो संसार की प्रत्यक्ष की जा सकने वाली वस्तुओं से सम्बन्धित हो। जैसे कि, यदि कोई व्यक्ति हिमालय पहाड़, गंगा, या कुतुबमीनार की विशेषताओं के बारे में बात कर रहा है, तो उसके शब्द 'दृष्टार्थ' कहे जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं।

(b). अदृष्टार्थ → ऐसा शब्द जो प्रत्यक्ष नहीं की जाने वाली वस्तु से संबंधित हो। अर्थात् जो हमें इंद्रियातीत - (इन्द्रियों से परे) पदार्थों के विषय में ज्ञान देता है, 'अदृष्टार्थ शब्द' कहा जाता है। जैसे धर्म - अधर्म, पाप - पुण्य, नीति - दुराचार आदि। इस प्रकार से जिन विषयों के बारे में अदृष्टार्थ शब्द होते हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण इस विश्व में संभव नहीं है, फिर भी उनकी सत्यता में संदेह नहीं होता; क्योंकि ये आप्त पुरुष के कथन होते हैं।

## (2) द्वितीयानुसार शब्द का वर्गीकरण →

(a). लौकिक → साधारण मनुष्य के वचनों को लौकिक शब्द कहते हैं। इनके निर्माता मनुष्य होते हैं। अतः यह निरंतर सत्य होने का दावा नहीं कर सकते। परंतु सत्य एवं असत्य हो सकते हैं।

(b). अलौकिक या वैदिक शब्द → वेदों, अन्य धार्मिक ग्रंथों एवं ईश्वर के कथन 'वैदिक शब्द' कहे जाते हैं, क्योंकि वे ईश्वरकृत हैं और इस कारण वैदिक शब्द साक्षात् ईश्वर कथन होने से सदैव सत्य माने जाते हैं और अलौकिक भी। यह तीन प्रकार का होता है — विधिवाक्य, अर्थवाद, अनुवाद।

# वाक्य विवेचन एवं सार्थक वाक्य के लक्षण

नैयायिकों के अनुसार अर्थ पूर्ण शब्दों के संयोग से वाक्य बनता है। ये वाक्य पदों के समूह हैं। (वाक्यं पदसमूहः)। जैसे- राम का भाई मोहन है। यह वाक्य कई पदों के योग से बना है। इस प्रकार से पदों के वैसे समूह को ही वाक्य कहते हैं, जिससे एक निश्चित अर्थ निकलता हो। किसी वाक्य के अर्थ को ही 'शब्दबोध' या 'शब्द ज्ञान' कहते हैं।

किसी भी वाक्य को सार्थक होने के लिए चार शर्तों का पालन आवश्यक माना गया है। वे हैं - आकाँक्षा, योग्यता, सन्निधि, एवं तात्पर्य।

(i)- आकाँक्षा → वाक्य सार्थक तभी हो सकता है जब उसके शब्दों में पारस्परिक सम्बन्ध की योग्यता हो। शब्द किसी वाक्य का अंश मात्र होता है और इसी लिए किसी एक शब्द से सम्पूर्ण वाक्य के पूरे अर्थ को हम नहीं जान सकते हैं। उन्हें अन्य शब्दों की अपेक्षा रहती है, इसे ही - आकाँक्षा कहते हैं। जैसे- कोई कहता है - 'निकालो'। इससे पूरा अर्थ नहीं निकलता अर्थात किसको 'निकालो'। अतः इस अर्थ को पूरा करने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है कि, चोर को'। ऐसा करने से पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है।

(ii). योग्यता → किसी वाक्य को सार्थक होने के लिए उसमें प्रयुक्त शब्दों में योग्यता होनी चाहिए। यहाँ 'योग्यता' का अर्थ है- जो हम कहना चाहते हैं उसका अर्थ वाक्य में प्रयुक्त शब्दों द्वारा प्रकट करने की योग्यता हो। अर्थात शब्दों में कोई विरोध न हो। जैसे कि, कोई कहता है 'आग से सींचो'. तो इस वाक्य के शब्दों में योग्यता नहीं है, क्योंकि इसमें विरोध है। 'सींचना' शब्द 'आग' के साथ प्रयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह असंभव है। अतः वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में पारस्परिक विरोध नहीं होना चाहिए।

(iii). सन्निधि → सन्निधि का अर्थ होता है : निकटता या समीपता। किसी वाक्य को सार्थक होने के लिए आवश्यक है कि उसमें प्रयुक्त शब्दों में समय और स्थान की दृष्टि से निकटता या समीपता हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे - 'एक गाय लाओ'। इसमें आकांक्षा तथा योग्यता के रहने पर भी यदि दो-दो दिन बाद एक-एक शब्द बोलें या अलग-अलग लिखें तो इनसे कोई वाक्य नहीं बनेगा। अतः सार्थक वाक्य के लिए शब्दों में निकटता आवश्यक है।

(iv). तात्पर्य → किसी वाक्य को सार्थक तभी कहा जा सकता है, जब वक्ता के कथन का सही अभिप्राय समझ में आ जाए। हर वाक्य के पीछे वक्ता का विशेष अभिप्राय होता है और यदि इसे नहीं समझा गया, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है।
जैसे - कोई कहता है कि 'सैन्धव लाओ'। यहाँ पर सैंधव का अर्थ 'घोड़ा' भी होता है और 'नमक' भी। अतः यदि कोई खाने के समय सैंधव मांगे, तो इसका अर्थ है कि वह नमक माँग रहा है। और यदि युद्ध के समय माँगे, तो इसका अर्थ है कि वह घोड़ा मांग रहा है। इसलिए, किसी वाक्य के मूल में वक्ता के कथन का तात्पर्य जानना आवश्यक है तभी वाक्य सार्थक हो सकता है।

—x—